

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, भा0आ0मे0
अपर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
खगड़िया/ सहरसा।

पटना-15, दिनांक-

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -113-घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उपशीर्ष -0001-बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापन विपत्र कोड-39-2245021130001 में कुल ₹60.012 लाख (साठ लाख एक हजार दो सौ रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत ।

इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -113-घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उपशीर्ष -0001-बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापन मद के अन्तर्गत मूल बजट उपबंध तथा वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापक ब-17/ बी0सी0एफ0 आपदा-161/2017/21 सी0एफ0 दिनांक 30.08.17 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या -267/आ0प्र0 दिनांक -30.08.17 द्वारा बिहार आर्कामकता निधि से स्वीकृत राशि से विचलनीय होगा।

2. आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष: उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -113-घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता ।

उपशीर्ष-0001- बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापन

मार्ग संख्या-39 यूनिट कोड- 35 01- नगद /वस्तु

(राशि रूपये लाख में)

क्र०	जिला	अधियाचित राशि	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017 -18)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017 -18)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2017-18)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	खगड़िया	40.66	0.00 (शून्य)	40.66 (चालीस लाख छियासठ हजार)	40.66 (चालीस लाख छियासठ हजार)
2	सहरसा	19.352	0.00 (शून्य)	19.352 (उननीस लाख पैंतीस हजार दो सौ)	19.352 (उननीस लाख पैंतीस हजार दो सौ)
कुल योग		60.012	0.00 (शून्य)	60.012 (साठ लाख एक हजार दो सौ)	60.012 (साठ लाख एक हजार दो सौ)

4 यह आवंटन बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों हेतु जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 547 दिनांक 14.12.17 / सहरसा के पत्रांक 248-1 दिनांक 30.12.17 द्वारा की गई अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रताशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष, उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष, उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561/वि0 (2) दिनांक 17.4.98 के अलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय होनेवाली राशि के लिये तैयार किये गए विपत्र/ विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000-आकस्मिकता निधि" अंकित कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकामी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैंक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप में भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना; वित्त विभाग (बजट)/सर्वमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आभ्यन्तरिक सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आगत सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट) सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई(टी) मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संयोजन केंद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव